न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 20/10

1. रतना आत्मज लाल्या जाति बन्जारा निवासी ग्राम गणेशपुरा कसार उप तहसील मण्डाना जिला कोटा ।
2. बाबू आत्मज नैना जी जाति बंजारा निवासी गणेशपुरा कसार उप तहसील मण्डाना जिला कोटा ।
3. श्रीमती कमला पुत्री नैना जी जाति बंजारा निवासी ग्राम गणेशपुरा कसार उप तहसील मण्डाना जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. कंवर लाल आत्मज स्व0 मन्ना लाल जाति बंजारा निवासी गणेशपुरा कसार उप तहसील मण्डाना जिला कोटा ।
2. रतना आत्मज स्व0 मेघा जी जाति बंजारा निवासी ग्राम गणेशपुरा कसार उप तहसील मण्डाना जिला कोटा ।
3. जगदीश आत्मज स्व0 श्री मेघा जी जाति बंजारा निवासी ग्राम गणेशपुरा कसार उप तहसील मण्डाना जिला कोटा ।
4. श्रीमती प्रेमबाई पुत्री स्व0 मेघा जी जाति बंजारा निवासी ग्राम गणेशपुरा कसार उप तहसील मण्डाना जिला कोटा ।
5. मोती आत्मज स्व0 बाल्या जी जाति बंजारा निवासी ग्राम गणेशपुरा कसार उप तहसील मण्डाना जिला कोटा ।
6. मृतक श्रीमती नैनी पुत्री स्व0 श्री बाल्या जाति बंजारा निवासी ग्राम गणेशपुरा कसार उप तहसील मण्डाना जिला कोटा जरिये कायममुकामान :–
   6/1. गोपाल
   6/2. निहालचन्द
   6/3. फूला बाई पुत्री जाति बंजारा निवासी गणेशपुरा कसार उप तहसील मण्डाना जिला कोटा ।
7. श्रीमती कयानी पुत्री स्व0 श्री बाल्या जी जाति बंजारा निवासी ग्राम गणेशपुरा कसार उप तहसील मण्डाना जिला कोटा ।
8. श्रीमती गौरा पुत्री स्व0 श्री बाल्या जाति बंजारा निवासी गणेशपुरा कसार उप तहसील मण्डाना जिला कोटा ।
9. राजस्थान राज्य जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।
10. श्रीमती मंजू विधवा पत्नी श्री गोपाल जी जाति बंजारा निवासी गणेशपुरा कसार उप तहसील मण्डाना जिला कोटा ।
11. श्रीमती संतोष पुत्री स्व0 श्री ीांवर लाल जाति बंजारा निवासी गणेशपुरा कसार उप तहसील मण्डाना जिला कोटा ।
12. गीता पुत्री स्व0 भंवर लाल जाति बंजारा निवासी गणेशपुरा उप तहसील मण्डाना जिला कोटा।
13. मूर्ति बाई पुत्री स्व0 श्री भंवर लाल जाति बंजारा निवासी गणेशपुरा उप तहसील मण्डाना जिला कोटा।

14. सावित्री पुत्री स्व0 भंवरलाल जाति बंजारा निवासी गणेशपुरा उप तहसील मण्डाना जिला कोटा।
15. बिहारी आत्मज नैना जी जाति बंजारा निवासी गणेशपुरा उप तहसील मण्डाना जिला कोटा।
16. स्वर्गीय भंवर लाल आत्मज श्री लाल्या उर्फ काल्या जी जाति बंजारा निवासी ग्राम गणेशपुरा कसार उप तहसील मण्डाना जिला कोटा जरिये कायममुकामान :–
    16/1. विष्णु आत्मज स्वर्गीय भंवर लाल जाति बंजारा निवासी गणेशपुरा उप तहसील मण्डाना जिला कोटा।
    16/2. श्रीमती गौरा बाई विधवा पत्नी स्वर्गीय भंवर लाल जाति बंजारा निवासी गणेशपुरा उप तहसील मण्डाना जिला कोटा।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, श्री महेश तिवारी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 04.07.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.07.2009 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 183 के अन्तर्गत ग्राम कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी कुल 03 किता की रकबा 09 बीघा 13 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया उक्त भूमि वादीगण के पिता व दादा श्री काल्या उर्फ लाल्या तथा उनके भाई बाल्या पुत्र हीरा के सहखातेदारी की भूमि है । श्री बाल्या ने उनके सहखाते की आराजी खसरा नम्बर 607 की 08 बीघा 15 बिस्वा भूमि से अपना कब्जा हटाकर अपने अधिकारों को त्याग कर इसका कब्जा वादीगण के पिता व दादा श्री काल्या उर्फ लाल्या को संभला दिया तब से ही वह उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में वाद डिक्री किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.07.2009 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.07.2009 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादीगण अपीलान्ट ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित

कर दिया था कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में काल्या उर्फ लाल्या व बाल्या के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी तथा भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों को गैर कानूनी एवं अनाधिकृत रूप से सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही उक्त भूमि को प्रतिवादी क्रम 1 कंवर लाल के खाते दर्ज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों का उक्त कृत्य सर्वथा अवैध, त्रुटिपूर्ण एवं क्षेत्राधिकार से परे है तथा वादीगण अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट क्रम 10 से 16 एवं प्रतिवादीगण क्रम 2 से 9 के हितों के विरूद्ध प्रभावहीन है । पक्षकारान के मध्य काल्या उर्फ लाल्या एवं बाल्या जी के जीवनकाल में ही वक्त दायरी दावा से लगभग 40 वर्ष पूर्व ही आपसी सहमति से पारिवारिक सेटलमेंट हो गया था जिसके अनुसार श्री बाल्या जी ने उनके शामलाती खाते की आराजी खसरा नम्बर 607 की 08 बीघ 15 बीघा भूमि से अपना कब्जा हटाकर अपने अधिकारों का त्याग कर अपने 1/2 हिस्से की भूमि वादीगण अपीलान्ट के पिता व दादा श्री काल्या उर्फ लाल्या जी को संभला दिया था तब से ही वह उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2009 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में काल्या उर्फ लाल्या व बाल्या के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी तथा भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों को गैर कानूनी एवं अनाधिकृत रूप से सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही उक्त भूमि को प्रतिवादी क्रम 1 कंवर लाल के खाते दर्ज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों का उक्त कृत्य सर्वथा अवैध, त्रुटिपूर्ण एवं क्षेत्राधिकार से परे है तथा वादीगण अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट क्रम 10 से 16 एवं प्रतिवादीगण क्रम 2 से 9 के हितों के विरूद्ध प्रभावहीन है । पक्षकारान के मध्य काल्या उर्फ लाल्या एवं बाल्या जी के जीवनकाल में ही वक्त दायरी दावा से लगभग 40 वर्ष पूर्व ही आपसी सहमति से पारिवारिक सेटलमेंट हो गया था जिसके अनुसार श्री बाल्या जी ने उनके शामलाती खाते की आराजी खसरा नम्बर 607 की 08 बीघ 15 बीघा भूमि से अपना कब्जा हटाकर अपने अधिकारों का त्याग कर अपने 1/2 हिस्से की भूमि वादीगण अपीलान्ट के पिता व दादा श्री काल्या उर्फ लाल्या जी को संभला दिया था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखे बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 26.07.2009 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 28.08.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा